

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम


चित्तौड़गढ़ (राज.)

कंकुवाड़

बनाम

जगार श

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 190/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज												
16/06/23	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री श्रीमती <u>कंकुवाड़े पत्नी जयशमजी रेगा</u></p> <p>वित्त श्री</p> <p>निवासी- <u>सिरडी तह. वल्ली वॉरड (4)</u> तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम</p> <p><u>सिरडी (पण्ड. लेखमपुरा)</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर.....</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>120</td> <td>146</td> <td>149</td> </tr> <tr> <td>0.59</td> <td>0.15</td> <td>0.26</td> </tr> </table> <p>कुल कीता 3 कुल रकबा 1.0000 है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>सिरडी (पण्ड. लेखमपुरा तह. वल्ली)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>120</td> <td>146</td> <td>149</td> </tr> <tr> <td>0.59</td> <td>0.15</td> <td>0.26</td> </tr> </table> <p>कुल कीता 3 रकबा 1.0000 है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1000=1000 रूपये अक्षरे <u>एक हजार रूपये</u> प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  (रामचन्द्र खटीक) सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ </p>	120	146	149	0.59	0.15	0.26	120	146	149	0.59	0.15	0.26
120	146	149											
0.59	0.15	0.26											
120	146	149											
0.59	0.15	0.26											